सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1007 राँची, मंगलवार, 6 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

3 अक्टूबर, 2018 ई०।

संख्या: 12/वि०उ०-08-01/2018 का. 7429-- राँची, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन कार्यरत श्री सुनील कुमार, प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-150 दिनांक 16 जून, 2015 के द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2009 के प्रभाव से अकार्यात्मक ग्रेड वेतन का लाभ वेतनमान-3, ग्रेड पे०-5400 में अनुमान्य किया जाने के फलस्वरूप श्री कुमार, प्रधान आप्त सचिव को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-06, दिनांक 9 जनवरी, 2012 के द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2011 के प्रभाव से पूर्व में प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वित्तीय वित्तीय उन्नयन का लाभ(वेतनमान-2, 9300-34800, ग्रेड पे०-5400 में) को संशोधित करते हुए योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981/वि०, दिनांक 1 सितम्बर, 2009, संकल्प संख्या-1779/वि०,दिनांक 21 मई, 2014, पत्रांक-361/वि० दिनांक 8 फरवरी, 2016 में निहित प्रावधानों एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में एम०ए०सी०पी० योजनान्तर्गत 20 वर्षों की नियमित सेवा अवधि पूर्ण होने तिथि दिनांक 7 सितम्बर, 2011 के प्रभाव से

वेतनमान-III, 15600-39100, ग्रेड वेतन-6600/-(पुनरीक्षित Level-11) में द्वित्तीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त लाभों की स्वीकृति निम्नांकित शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् हैः-

(क) उपर वर्णित पदधारकों की नियुक्ति तिथि से देय वित्तीय उन्नयन की तिथि तक नियमित सेवा सत्यापित रहने के उपरांत ही स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ख) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।

(ग) प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की एक मुश्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित कर्मी के वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) (ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा। उपरोक्त वित्तीय उन्नयन पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4. यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है, जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय कर्मी को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चत्तर वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतनमान/का संरक्षण देय नहीं होगा।

5. यह आदेश योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981, दिनांक 1 सितम्बर, 2009 एवं 1779/वि० दिनांक 21 मई, 2014 एवं पत्रांक-361/वि०, दिनांक 8 फरवरी, 2016 के परिपत्रानुसार प्रभावी होगा । इस योजना के लागू होने के पूर्व का बकाया अनुमान्य नहीं होगा ।

6. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उच्चत्तर वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सकेगें, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोहों आदि के लिए वे अपने मौलिक/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1007 -- 50